



भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

द्वितीय नियंत्रण अवधि (01.04.2016 – 31.03.2021) के लिए श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, के संबंध में सिविल एन्क्लेव में वैमानिक टैरिफों के निर्धारण के मामले में

30 अक्टूबर, 2017

ऐरा बिल्डिंग
प्रशासनिक परिसर
सफदरजंग एयरपोर्ट
नई दिल्ली-110003

स्टॉप

18. आदेशों का सारांश

निर्णय संख्या- 1	पहली नियंत्रण अवधि के लिए सही करना (डू-अप)
निर्णय संख्या -2	यातायात पूर्वानुमान
निर्णय संख्या -3	वैमानिक और गैर वैमानिक सेवाओं के मध्य परिसंपत्तियों का आबंटन
निर्णय संख्या -4	दूसरी नियंत्रण अवधि के लिए प्रारंभिक विनियामक परिसंपत्ति आधार
निर्णय संख्या -5	पूँजीगत व्यय
निर्णय संख्या -6	मूल्यहास का प्रतिपादन (ट्रीटमेंट)
निर्णय संख्या -7	दूसरी नियंत्रण अवधि के लिए आरएबी
निर्णय संख्या -8	रिर्टन की उचित दर (FRoR)
निर्णय संख्या- 9	गैर-वैमानिक राजस्व
निर्णय संख्या-10	प्रचालन और रखरखाव के व्यय
निर्णय संख्या-10	कराधान
निर्णय संख्या-12	टैरिफ दर कार्ड

स्टांप

19. आदेश

19.1 ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13(1) (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उपर्युक्त निर्णयों के आधार पर प्राधिकरण द्वारा 01.12.2017 से सिविल एन्क्लेव श्रीनगर पर लगाए जाने के लिए वैमानिक टैरिफ निर्धारित किए गए जो संलग्नक-1 में दिए गए हैं। उत्तरवर्ती टैरिफ वर्ष के लिए टैरिफ (अर्थात् वित्त वर्ष 2018-19, वित्त वर्ष 2019-20 और वित्त वर्ष 2020-21) वर्तमान नियंत्रण अवधि के दौरान निर्णय संख्या 12 के तहत निर्दिष्ट किए अनुसार टैरिफों में वृद्धि सहित प्रत्येक टैरिफ वर्ष की 1 अप्रैल से प्रभावी होंगे।

19.2 विमान नियम 1937 के नियम 89 के साथ पठित ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13(1) (बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण द्वारा संलग्नक-1 में दर कार्ड में दिए अनुसार यूडीएफ की दर निर्धारित की गई है। ये दरें 01.12.2017 से प्रभावी होंगी।

19.3 इसमें निर्धारित टैरिफ की दरें अधिकतम हैं, इसमें कर यदि कोई हों तो वह इसमें शामिल नहीं है।

प्राधिकरण के आदेश और नाम से

ह/-
(पूजा जिंदल)
सचिव

सेवा में,
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
राजीव गांधी भवन
सफदरजंग एयरपोर्ट
नई दिल्ली -110003

स्टांप

(नोट: किसी भी विवाद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ को ही मूल माना जाए।)

संलग्नक I- प्राधिकरण के अनुसार विस्तृत टैरिफ कार्ड 01.12.2017 या एआईसी जारी करने की तारीख जो भी बाद में हो से 31.03.2018 तक के लिए लागू है।

1) पार्किंग और हाऊसिंग प्रभार

एयरक्राफ्ट का वजन	पार्किंग प्रभार दरें प्रति घंटा (₹ में)	हाऊसिंग प्रभार दरें प्रति घंटा (₹ में)
25 एमटी तक	₹ 3 प्रति घंटा प्रति एमटी	₹ 6 प्रति घंटा प्रति एमटी
25 एमटी से अधिक 50 एमटी तक	₹ 75+₹ 4 प्रति घंटा प्रति एमटी 25 एमटी से अधिक पर	₹ 150 +₹ 8 प्रति एमटी प्रति घंटा 25 एमटी से अधिक पर
50 एमटी से अधिक 100 एमटी तक	₹ 175+₹ 8 प्रति एमटी प्रति घंटा 50 एमटी से अधिक पर	₹ 350+₹ 16 प्रति एमटी प्रति घंटा 50 एमटी से अधिक पर
100 एमटी से अधिक 200 एमटी तक	₹ 575+₹ 10 प्रति एमटी प्रति घंटा 100 एमटी से अधिक पर	₹ 1,150+₹ 20 प्रति एमटी प्रति घंटा 100 एमटी से अधिक पर
200 एमटी से अधिक	₹ 1, 575+₹ 11 प्रति एमटी प्रति घंटा 200 एमटी से अधिक पर	₹ 3,150+₹ 22 प्रति एमटी प्रति घंटा 200 एमटी से अधिक पर

टिप्पणी

1)	पहले दो घंटों के लिए कोई पार्किंग प्रभार नहीं लगाया जाएगा। निःशुल्क पार्किंग अवधि की गणना करते समय, पार्किंग स्टैंड में प्रवेश करने के समय और वास्तविक पार्किंग समय के मध्य के समय के कारण 15 मिनट का मानक समय जोड़ा जाएगा। पार्किंग स्टैंड से टेक आफ प्वाइंट तक विमान के टैक्सिंग समय के कारण 15 मिनट के एक अन्य मानक समय को जोड़ा जाएगा। ये अवधियां प्रत्येक विमान के लिए लागू होंगी इसके लिए लैंडिंग के बाद और टेकऑफ से पहले विमान के मूवमेंट में लिए गए वास्तविक समय पर विचार नहीं किया जाएगा।
2)	प्रभार्य पार्किंग समय की गणना के लिए एक घंटे का कोई भी हिस्सा अगले घंटे में पूर्णांकित किया जाएगा।
3)	प्रभार की निकटतम एमटी के आधार पर गणना की जाएगी।
4)	प्रत्येक पार्किंग अवधि के लिए प्रभार निकटतम रूप में पूर्णांकित किया जाएगा।
5)	इन कॉन्टेक्ट स्टैंडों और ओपन स्टैंडों पर मुफ्त पार्किंग के बाद अगले दो घंटे के लिए सामान्य पार्किंग प्रभार लगाया जाएगा। इस अवधि के बाद ये प्रभार सामान्य पार्किंग प्रभार से दोगुना होंगे।
6)	श्रीनगर हवाई अड्डा पर सभी घरेलू अनुसूचित ऑपरेटरों के लिए रात्रि पार्किंग प्रभार को सिद्धांत रूप से छोड़ने का निर्णय लिया है, यदि राज्य सरकार ने एटीएफ पर कर (वैट) की दर 5% तक लगाई है। रात्रि पार्किंग प्रभार (2200 बजे से 0600 बजे के बीच) की उपरोक्त छूट राज्य सरकार द्वारा एटीएफ पर 5% कर के कार्यान्वयन की तारीख से लागू होगी। राज्य सरकार द्वारा एटीएफ की कर दर बढ़ाए जाने की ओर संशोधन की स्थिति में, निःशुल्क रात्रि पार्किंग प्रभार की राहत को उक्त राज्य के अधिकार क्षेत्र में सभी हवाई अड्डे के लिए वापिस लिए जाने की तरह भी माना जाएगा।

स्टांप

II) थ्रूपट प्रभार

दर प्रति किलोलीटर (₹ में)
₹ 143.1

III) यात्री सेवा फीस (पीएसएफ)- प्रतिभूति (सिक्युरिटी)*

- 1) 130/- ₹ प्रति सवार अंतरराष्ट्रीय/ घरेलू यात्री के लिए।
- 2) डालर टैरिफ के प्रति जारी किए गए टिकटों के संबंध में यूएस \$ 3.25 (यूएस \$ तीन और पच्चीस सेंट मात्र) प्रति यात्री ।
- 3) संग्रहण प्रभार: अगर बीजक की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर भुगतान किया जाता है, तो प्रति यात्री पीएसएफ का ₹ 2.50% संग्रहण प्रभार का एएआई द्वारा भुगतान किया जाएगा। अगर 15 दिन की क्रेडिट अवधि के भीतर एयरलाइन पीएसएफ का एएआई को भुगतान करने में विफल रहता है तो कोई भी संग्रहण प्रभार नहीं दिया जाएगा। जहां कहीं भी संग्रहण प्रभार देय है राशि का निपटारा 15 दिन के भीतर कर दिया जाएगा।
- 4) ट्रांजिट यात्रियों के लिए कोई पीएसएफ (प्रतिभूति (सिक्युरिटी)) नहीं लगाया जाएगा।
- 5) यूएस \$ को INR में परिवर्तन के लिए पहली पाक्षिक बिलिंग अवधि के लिए महीने के पहले दिन की दर को और दूसरी पाक्षिक बिलिंग अवधि के लिए महीने की 16 तारीख की दर को अपनाया जाएगा। यदि भुगतान बिल प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर किया जाता है, तो प्रति यात्री पीएसएफ का 2.5% का संग्रहण देय है।

*पीएसएफ- प्रतिभूति (सिक्युरिटी) को नागर विमानन मंत्रालय द्वारा निर्धारित किया जाता है और समय-समय पर नागर विमानन मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाने वाली दरें लागू होंगी।

IV) उपयोगकर्ता विकास शुल्क (यूडीएफ)

विवरण	दर
घरेलू प्रति सवार यात्री	₹ 350
अंतरराष्ट्रीय प्रति सवार यात्री	₹ 700

टिप्पणी

1)	संग्रहण प्रभार: अगर बीजक की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर अदायगी की जाती है तब एएआई द्वारा 5 ₹ की दर से प्रति प्रस्थान यात्री अदायगी की जाएगी। यदि एयरलाइन 15 दिन की क्रेडिट अवधि के भीतर यूडीएफ बीजक की अदायगी या अदायगी का कोई भाग एएआई को करने में विफल रहती है तब संग्रहण प्रभारों की अदायगी नहीं की जाएगी। इस संग्रहण प्रभारों का दावा करने का पात्र होने के लिए एयरलाइनों का एएआई के किसी खाते पर कोई अतिदेय (overdue) नहीं होना चाहिए। जहां कहीं भी संग्रहण प्रभार देय हैं राशि का निपटारा 15 दिनों के भीतर कर दिया जाएगा।
2)	संग्रहण प्रभार अनियत आपरेटरों/गैर अनुसूचित आपरेटरों पर नहीं लगाए जाएंगे।
3)	यूडीएफ को विदेशी मुद्रा में परिकलन (Calculating) के लिए भारतीय रिजर्व बैंक संदर्भ परिवर्तन दर जो पहली पाक्षिक में जारी किए गए टिकटों के लिए पिछले माह के अंतिम दिन थी और दूसरी पाक्षिक में जारी किए गए टिकटों के लिए माह की 15 तारीख को थी को अपनाया जाएगा।
4)	संशोधित यूडीएफ प्रभार 01.12.2017 को या इसके पश्चात जारी किए गए टिकटों या एआईसी के जारी करने की तारीख, जो भी बाद में है पर लागू होंगे।
5)	ट्रांजिट यात्रियों के लिए कोई यूडीएफ नहीं लगाया जाएगा।

स्टॉप

V) हवाई अड्डों पर लेवी से और यूडीएफ और पीएसएफ (एससी) से संग्रहण में छूट:

नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार ने आदेश संख्या ए.वी.16011/002/2008-एएआई दिनांक 30.11.2011 द्वारा एएआई को निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए लेवी से और यूडीएफ और पीएसएफ (सिक्युरिटी) के संग्रहण से छूट देने का निदेश दिया है।

क)	बच्चे (2 साल तक की आयु के),
ख)	राजनयिक पासपोर्ट धारकों,
ग)	ड्यूटी पर एयरलाईन कर्मीदल इसमें बोर्ड पर स्काई मार्शल और एयरलाईन कर्मीदल को केवल विशेष उड़ान के लिए (इसमें डेड हेड क्रू, या ग्राउंड कार्मिक शामिल नहीं होंगे),
घ)	भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा संचालित विमान पर पदीय कर्तव्य पर यात्रा करने वाले व्यक्ति,
ड.)	संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के लिए पदीय कर्तव्य पर यात्रा करने वाले व्यक्ति
च)	ट्रांजिट/ट्रांसफर यात्री (यह छूट सभी 24 घंटों तक पारगमन करने वाले यात्रियों को दी जा सकती है। "यात्री को केवल तभी पारगमन में माना जाता है, अगर हवाई अड्डे में आने से आगे की यात्रा 24 घंटे के भीतर की है और उसी टिकट का हिस्सा हो, यदि 2 अलग टिकट जारी किए जाते हैं तो इसे पारगमन यात्री के रूप में नहीं माना जाएगा")
छ)	यात्रियों का अनैच्छिक पुनः रूटींग (re-routing) अर्थात् तकनीकी समस्याओं या मौसम की स्थिति के कारण भारतीय हवाई अड्डों से प्रस्थान करना।

VII) सामान्य शर्त:

- क) क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना के तहत आपरेट की जाने वाली उड़ान भारत सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत की तिथि से प्राधिकरण के तारीख 31.03.2017 के आदेश संख्या 20/2016-17 के अनुसार प्रभारों से पूर्णतः मुक्त होगी।
- ख) सभी उपरोक्त प्रभार जीएसटी को छोड़ कर हैं। जीएसटी लागू दरों पर उपरोक्त शुल्कों के लिए अतिरिक्त देय है।

स्टांप

(नोट: किसी भी विवाद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ को ही मूल माना जाए।)

संलग्नक 2 - प्राधिकरण के अनुसार विस्तृत टैरिफ कार्ड 01.04.2018 से 31.03.2019 तक लागू है।

1) पार्किंग और हाऊसिंग प्रभार

एयरक्राफ्ट का वजन	पार्किंग प्रभार दरें प्रति घंटा (₹ में)	हाऊसिंग प्रभार दरें प्रति घंटा (₹ में)
25 एमटी तक	₹ 3.1 प्रति घंटा प्रति एमटी	₹ 6.2 प्रति घंटा प्रति एमटी
25 एमटी से अधिक 50 एमटी तक	₹ 77.5 + ₹ 4.2 प्रति घंटा प्रति एमटी 25 एमटी से अधिक पर	₹155.0 + ₹ 8.3 प्रति एमटी प्रति घंटा 25 एमटी से अधिक पर
50 एमटी से अधिक 100 एमटी तक	₹ 182.5 + ₹ 8.3 प्रति एमटी प्रति घंटा 50 एमटी से अधिक पर	₹ 362.5+ ₹ 16.6 प्रति एमटी प्रति घंटा 50 एमटी से अधिक पर
100 एमटी से अधिक 200 एमटी तक	₹597.5+ ₹ 10.4 प्रति एमटी प्रति घंटा 100 एमटी से अधिक पर	₹1192.5+ ₹ 20.8 प्रति एमटी प्रति घंटा 100 एमटी से अधिक पर
200 एमटी से अधिक	₹1637.5+ ₹11.4 प्रति एमटी प्रति घंटा 200 एमटी से अधिक पर	₹3272.50+ ₹ 22.9 प्रति एमटी प्रति घंटा 200 एमटी से अधिक पर

टिप्पणी

1)	पहले दो घंटों के लिए कोई पार्किंग प्रभार नहीं लगाया जाएगा। निःशुल्क पार्किंग अवधि की गणना करते समय, पार्किंग स्टैंड में प्रवेश करने के समय और वास्तविक पार्किंग समय के मध्य के समय के कारण 15 मिनट का मानक समय जोड़ा जाएगा। पार्किंग स्टैंड से टेक आफ प्वाईंट तक विमान के टैक्सिंग समय के कारण 15 मिनट के एक अन्य मानक समय को जोड़ा जाएगा। ये अवधियां प्रत्येक विमान के लिए लागू होंगी इसके लिए लैंडिंग के बाद और टेकऑफ से पहले विमान के मूवमेंट में लिए गए वास्तविक समय पर विचार नहीं किया जाएगा।
2)	प्रभार्य पार्किंग समय की गणना के लिए एक घंटे का कोई भी हिस्सा अगले घंटे में पूर्णांकित किया जाएगा।
3)	प्रभार की निकटतम एमटी के आधार पर गणना की जाएगी।
4)	प्रत्येक पार्किंग अवधि के लिए प्रभार निकटतम रूप में पूर्णांकित किया जाएगा।
5)	इन कॉन्टेक्ट स्टैंडों और ओपन स्टैंडों पर मुफ्त पार्किंग के बाद अगले दो घंटों के लिए सामान्य पार्किंग प्रभार लगाया जाएगा। इस अवधि के बाद ये प्रभार सामान्य पार्किंग प्रभार से दोगुना होंगे।
6)	श्रीनगर हवाई अड्डा पर सभी घरेलू अनुसूचित ऑपरेटरों के लिए रात्रि पार्किंग प्रभार को सिद्धांत रूप से छोड़ने का निर्णय लिया है, यदि राज्य सरकार ने एटीएफ पर कर (वैट) की दर 5% तक लगाई है। रात्रि पार्किंग प्रभार (2200 बजे से 0600 बजे के बीच) की उपरोक्त छूट राज्य सरकार द्वारा एटीएफ पर 5% कर के कार्यान्वयन की तारीख से लागू होगी। राज्य सरकार द्वारा एटीएफ की कर दर बढ़ाए जाने की ओर संशोधन की स्थिति में, निःशुल्क रात्रि पार्किंग प्रभार की राहत को उक्त राज्य के अधिकार क्षेत्र में सभी हवाई अड्डों के लिए वापिस लिए जाने की तरह भी माना जाएगा।

स्टॉप

II) थूपुट प्रभार

दर प्रति किलोलीटर (₹ में)
₹ 143.1

III) यात्री सेवा फीस (पीएसएफ)- प्रतिभूति (सिक्युरिटी)*

- 1) 130/- ₹ प्रति सवार अंतरराष्ट्रीय/ घरेलू यात्री के लिए।
- 2) डालर टैरिफ के प्रति जारी किए गए टिकटों के संबंध में यूएस \$ 3.25 (यूएस \$ तीन और पच्चीस सेंट मात्र) प्रति यात्री ।
- 3) संग्रहण प्रभार: अगर बीजक की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर भुगतान किया जाता है, तो प्रति यात्री पीएसएफ का ₹ 2.50% संग्रहण प्रभार का एएआई द्वारा भुगतान किया जाएगा। अगर 15 दिन की क्रेडिट अवधि के भीतर एयरलाइन पीएफ का एएआई को भुगतान करने में विफल रहता है तो कोई भी संग्रहण प्रभार नहीं दिया जाएगा। जहां कहीं भी संग्रहण प्रभार देय है राशि का निपटारा 15 दिन के भीतर कर दिया जाएगा।
- 4) ट्रांजिट यात्रियों के लिए कोई पीएसएफ (प्रतिभूति (सिक्युरिटी)) नहीं लगाया जाएगा।
- 5) यूएस \$ को INR में परिवर्तन के लिए पहली पाक्षिक बिलिंग अवधि के लिए महीने के पहले दिन की दर को और दूसरी पाक्षिक बिलिंग अवधि के लिए महीने की 16 तारीख की दर को अपनाया जाएगा। यदि भुगतान बिल प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर किया जाता है, तो प्रति यात्री पीएसएफ का 2.5% का संग्रहण देय है।

*पीएसएफ- प्रतिभूति (सिक्युरिटी) को नागर विमानन मंत्रालय द्वारा निर्धारित किया जाता है और समय-समय पर नागर विमानन मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाने वाली दरें लागू होंगी।

IV) उपयोगकर्ता विकास शुल्क (यूडीएफ)

विवरण	₹ में
घरेलू प्रति सवार यात्री	₹ 364
अंतरराष्ट्रीय प्रति सवार यात्री	₹ 728

टिप्पणी

1)	संग्रहण प्रभार: अगर बीजक की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर अदायगी की जाती है तब एएआई द्वारा 5 ₹ की दर से प्रति प्रस्थान यात्री अदायगी की जाएगी। यदि एयरलाइन 15 दिन की क्रेडिट अवधि के भीतर यूडीएफ बीजक की अदायगी या अदायगी का कोई भाग एएआई को करने में विफल रहती है तब संग्रहण प्रभारों की अदायगी नहीं की जाएगी। इस संग्रहण प्रभारों का दावा करने का पात्र होने के लिए एयरलाइनों का एएआई के किसी खाते पर कोई अतिदेय (overdue) नहीं होना चाहिए। जहां कहीं भी संग्रहण प्रभार देय हैं राशि का निपटारा 15 दिनों के भीतर कर दिया जाएगा।
2)	संग्रहण प्रभार अनियत आपरेटरों/गैर अनुसूचित आपरेटरों पर नहीं लगाए जाएंगे।
3)	यूडीएफ को विदेशी मुद्रा में परिकलन (Calculating) के लिए भारतीय रिजर्व बैंक संदर्भ परिवर्तन दर जो पहली पाक्षिक में जारी किए गए टिकटों के लिए पिछले माह के अंतिम दिन थी और दूसरी पाक्षिक में जारी किए गए टिकटों के लिए माह की 15 तारीख को थी को अपनाया जाएगा।
4)	ट्रांजिट यात्रियों के लिए कोई यूडीएफ नहीं लगाया जाएगा।

स्टॉप

V) हवाई अड्डों पर लेवी से और यूडीएफ और पीएसएफ (एससी) से संग्रहण में छूट:

नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार ने आदेश संख्या ए.वी.16011/002/2008-एएआई दिनांक 30.11.2011 द्वारा एएआई को निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए लेवी से और यूडीएफ और पीएसएफ (सिक्युरिटी) के संग्रहण से छूट देने का निदेश दिया है।

क)	बच्चे (2 साल तक की आयु के),
ख)	राजनयिक पासपोर्ट धारकों,
ग)	ड्यूटी पर एयरलाईन कर्मीदल इसमें बोर्ड पर स्काई मार्शल और एयर लाईन कर्मीदल को केवल विशेष उड़ान के लिए (इसमें डेड हेड क्रू, या ग्राउंड कार्मिक शामिल नहीं होंगे),
घ)	भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा संचालित विमान पर पदीय कर्तव्य पर यात्रा करने वाले व्यक्ति,
ङ)	संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के लिए पदीय कर्तव्य पर यात्रा करने वाले व्यक्ति
च)	ट्रांजिट/ट्रांसफर यात्री (यह छूट सभी 24 घंटों तक पारगमन करने वाले यात्रियों को दी जा सकती है। "यात्री को केवल तभी पारगमन में माना जाता है, अगर हवाई अड्डे में आने से आगे की यात्रा 24 घंटे के भीतर की है और उसी टिकट का हिस्सा हो, यदि 2 अलग टिकट जारी किए जाते हैं तो इसे पारगमन यात्री के रूप में नहीं माना जाएगा")
छ)	यात्रियों का अनैच्छिक पुनः रूटींग (re-routing) अर्थात् तकनीकी समस्याओं या मौसम की स्थिति के कारण भारतीय हवाई अड्डों से प्रस्थान करना।

VI) सामान्य शर्त:

- क) क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना के तहत आपरेट की जाने वाली उड़ान भारत सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत की तिथि से प्राधिकरण के तारीख 31.03.2017 के आदेश संख्या 20/2016-17 के अनुसार प्रभारों से पूर्णतः मुक्त होगी।
- ख) सभी उपरोक्त प्रभार जीएसटी को छोड़ कर हैं। जीएसटी लागू दरों पर उपरोक्त शुल्कों के लिए अतिरिक्त देय है।

स्टांप

(नोट: किसी भी विवाद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ को ही मूल माना जाए।)

संलग्नक 3- प्राधिकरण के अनुसार विस्तृत टैरिफ कार्ड 01.04.2019 से 31.03.2020 तक लागू है।

1) पार्किंग और हाऊसिंग प्रभार

एयरक्राफ्ट का वजन	पार्किंग प्रभार दरें प्रति घंटा (₹ में)	हाऊसिंग प्रभार दरें प्रति घंटा (₹ में)
25 एमटी तक	₹ 3.2 प्रति घंटा प्रति एमटी	₹ 6.4 प्रति घंटा प्रति एमटी
25 एमटी से अधिक 50 एमटी तक	₹ 80.0 + ₹ 4.4 प्रति घंटा प्रति एमटी 25 एमटी से अधिक पर	₹160.0 + ₹ 8.6 प्रति एमटी प्रति घंटा 25 एमटी से अधिक पर
50 एमटी से अधिक 100 एमटी तक	₹ 190.0 + ₹ 8.6 प्रति एमटी प्रति घंटा 50 एमटी से अधिक पर	₹ 375.0+ ₹ 17.3 प्रति एमटी प्रति घंटा 50 एमटी से अधिक पर
100 एमटी से अधिक 200 एमटी तक	₹620.0+ ₹ 10.8 प्रति एमटी प्रति घंटा 100 एमटी से अधिक पर	₹ 1240.0+ ₹ 21.6 प्रति एमटी प्रति घंटा 100 एमटी से अधिक पर
200 एमटी से अधिक	₹1700.0+ ₹ 11.9 प्रति एमटी प्रति घंटा 200 एमटी से अधिक पर	₹ 3400.0+ ₹ 23.8 प्रति एमटी प्रति घंटा 200 एमटी से अधिक पर

टिप्पणी

1)	पहले दो घंटों के लिए कोई पार्किंग प्रभार नहीं लगाया जाएगा। निःशुल्क पार्किंग अवधि की गणना करते समय, पार्किंग स्टैंड में प्रवेश करने के समय और वास्तविक पार्किंग समय के मध्य के समय के कारण 15 मिनट का मानक समय जोड़ा जाएगा। पार्किंग स्टैंड से टेक आफ प्वाइंट तक विमान के टैक्सिंग समय के कारण 15 मिनट के एक अन्य मानक समय को जोड़ा जाएगा। ये अवधियां प्रत्येक विमान के लिए लागू होंगी इसके लिए लैंडिंग के बाद और टेकऑफ से पहले विमान के मूवमेंट में लिए गए वास्तविक समय पर विचार नहीं किया जाएगा।
2)	प्रभार्य पार्किंग समय की गणना के लिए एक घंटे का कोई भी हिस्सा अगले घंटे में पूर्णांकित किया जाएगा।
3)	प्रभार की निकटतम एमटी के आधार पर गणना की जाएगी।
4)	प्रत्येक पार्किंग अवधि के लिए प्रभार निकटतम रूप में पूर्णांकित किया जाएगा।
5)	इन कॉन्टेक्ट स्टैंडों और ओपन स्टैंडों पर मुफ्त पार्किंग के बाद अगले दो घंटे के लिए सामान्य पार्किंग प्रभार लगाया जाएगा। इस अवधि के बाद ये प्रभार सामान्य पार्किंग प्रभार से दोगुना होंगे।
6)	श्रीनगर हवाई अड्डा पर सभी घरेलू अनुसूचित ऑपरेटरों के लिए रात्रि पार्किंग प्रभार को सिद्धांत रूप से छोड़ने का निर्णय लिया है, यदि राज्य सरकार ने एटीएफ पर कर (वैट) की दर 5% तक लगाई है। रात्रि पार्किंग प्रभार (2200 बजे से 0600 बजे के बीच) की उपरोक्त छूट राज्य सरकार द्वारा एटीएफ पर 5% कर के कार्यान्वयन की तारीख से लागू होगी। राज्य सरकार द्वारा एटीएफ की कर दर बढ़ाए जाने की ओर संशोधन की स्थिति में, निःशुल्क रात्रि पार्किंग प्रभार की राहत को उक्त राज्य के अधिकार क्षेत्र में सभी हवाई अड्डे के लिए वापिस लिए जाने की तरह भी माना जाएगा।

स्टांप

II) थ्रूपुट प्रभार

दर प्रति किलोलीटर (₹ में)
₹ 143.1

III) यात्री सेवा फीस (पीएसएफ)- प्रतिभूति (सिक्युरिटी)*

- 1) 130/- ₹ प्रति सवार अंतरराष्ट्रीय/ घरेलू यात्री के लिए।
- 2) डालर टैरिफ के प्रति जारी किए गए टिकटों के संबंध में यूएस \$ 3.25 (यूएस \$ तीन और पच्चीस सेंट मात्र) प्रति यात्री ।
- 3) संग्रहण प्रभार: अगर बीजक की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर भुगतान किया जाता है, तो प्रति यात्री पीएसएफ का ₹ 2.50% संग्रहण प्रभार का एएआई द्वारा भुगतान किया जाएगा। अगर 15 दिन की क्रेडिट अवधि के भीतर एयरलाइन पीएफ का एएआई को भुगतान करने में विफल रहता है तो कोई भी संग्रहण प्रभार नहीं दिया जाएगा। जहां कहीं भी संग्रहण प्रभार देय है राशि का निपटारा 15 दिन के भीतर कर दिया जाएगा।
- 4) ट्रांजिट यात्रियों के लिए कोई पीएसएफ (प्रतिभूति (सिक्युरिटी)) नहीं लगाया जाएगा।
- 5) यूएस \$ को INR में परिवर्तन के लिए पहली पाक्षिक बिलिंग अवधि के लिए महीने के पहले दिन की दर को और दूसरी पाक्षिक बिलिंग अवधि के लिए महीने की 16 तारीख की दर को अपनाया जाएगा। यदि भुगतान बिल प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर किया जाता है, तो प्रति यात्री पीएसएफ का 2.5% का संग्रहण देय है।

*पीएसएफ- प्रतिभूति (सिक्युरिटी) को नागर विमानन मंत्रालय द्वारा निर्धारित किया जाता है और समय-समय पर नागर विमानन मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाने वाली दरें लागू होंगी।

IV) उपयोगकर्ता विकास शुल्क (यूडीएफ)

विवरण	₹ में
घरेलू प्रति सवार यात्री	₹ 379
अंतरराष्ट्रीय प्रति सवार यात्री	₹ 757

टिप्पणी

1)	संग्रहण प्रभार: अगर बीजक की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर अदायगी की जाती है तब एएआई द्वारा 5 ₹ की दर से प्रति प्रस्थान यात्री अदायगी की जाएगी। यदि एयरलाइन 15 दिन की क्रेडिट अवधि के भीतर यूडीएफ बीजक की अदायगी या अदायगी का कोई भाग एएआई को करने में विफल रहती है तब संग्रहण प्रभारों की अदायगी नहीं की जाएगी। इस संग्रहण प्रभारों का दावा करने का पात्र होने के लिए एयरलाइनों का एएआई के किसी खाते पर कोई अतिदेय (overdue) नहीं होना चाहिए। जहां कहीं भी संग्रहण प्रभार देय हैं राशि का निपटारा 15 दिनों के भीतर कर दिया जाएगा।
2)	संग्रहण प्रभार अनियत आपरेटरों/गैर अनुसूचित आपरेटरों पर नहीं लगाए जाएंगे।
3)	यूडीएफ को विदेशी मुद्रा में परिकलन (Calculating) के लिए भारतीय रिजर्व बैंक संदर्भ परिवर्तन दर जो पहली पाक्षिक में जारी किए गए टिकटों के लिए पिछले माह के अंतिम दिन थी और दूसरी पाक्षिक में जारी किए गए टिकटों के लिए माह की 15 तारीख को थी को अपनाया जाएगा।
4)	ट्रांजिट यात्रियों के लिए कोई यूडीएफ नहीं लगाया जाएगा।

स्टांप

V) हवाई अड्डों पर लेवी से और यूडीएफ और पीएसएफ (एससी) से संग्रहण में छूट:

नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार ने आदेश संख्या ए.वी.16011/002/2008-एएआई दिनांक 30.11.2011 द्वारा एएआई को निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए लेवी से और यूडीएफ और पीएसएफ (सिक्युरिटी) के संग्रहण से छूट देने का निदेश दिया है।

क)	बच्चे (2 साल तक की आयु के),
ख)	राजनयिक पासपोर्ट धारकों,
ग)	ड्यूटी पर एयरलाइन कर्मीदल इसमें बोर्ड पर स्काई मार्शल और एयर लाईन कर्मीदल को केवल विशेष उड़ान के लिए (इसमें डेड हेड क्यू, या ग्राउंड कार्मिक शामिल नहीं होंगे),
घ)	भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा संचालित विमान पर पदीय कर्तव्य पर यात्रा करने वाले व्यक्ति,
ड)	संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के लिए पदीय कर्तव्य पर यात्रा करने वाले व्यक्ति
च)	ट्रांजिट/ट्रांसफर यात्री (यह छूट सभी 24 घंटों तक पारगमन करने वाले यात्रियों को दी जा सकती है। "यात्री को केवल तभी पारगमन में माना जाता है, अगर हवाई अड्डे में आने से आगे की यात्रा 24 घंटे के भीतर की है और उसी टिकट का हिस्सा हो, यदि 2 अलग टिकट जारी किए जाते हैं तो इसे पारगमन यात्री के रूप में नहीं माना जाएगा")
छ)	यात्रियों का अनैच्छिक पुनः रूटींग (re-routing) अर्थात तकनीकी समस्याओं या मौसम की स्थिति के कारण भारतीय हवाई अड्डों से प्रस्थान करना।

VI) सामान्य शर्त:

- क) क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना के तहत आपरेट की जाने वाली उड़ान भारत सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत की तिथि से प्राधिकरण के तारीख 31.03.2017 के आदेश संख्या 20/2016-17 के अनुसार प्रभारों से पूर्णतः मुक्त होगी।
- ख) सभी उपरोक्त प्रभार जीएसटी को छोड़ कर हैं। जीएसटी लागू दरों पर उपरोक्त शुल्कों के लिए अतिरिक्त देय है।

स्टांप

(नोट: किसी भी विवाद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ को ही मूल माना जाए।)

संलग्नक 4- प्राधिकरण के अनुसार विस्तृत टैरिफ कार्ड 01.04.2020 से 31.03.2021 तक लागू है।

1) पार्किंग और हाऊसिंग प्रभार

एयरक्राफ्ट का वजन	पार्किंग प्रभार दरें प्रति घंटा (₹ में)	हाऊसिंग प्रभार दरें प्रति घंटा (₹ में)
25 एमटी तक	₹ 3.3 प्रति घंटा प्रति एमटी	₹ 6.7 प्रति घंटा प्रति एमटी
25 एमटी से अधिक 50 एमटी तक	₹ 82.5 + ₹ 4.6 प्रति घंटा प्रति एमटी 25 एमटी से अधिक पर	₹ 167.5 + ₹ 8.9 प्रति एमटी प्रति घंटा 25 एमटी से अधिक पर
50 एमटी से अधिक 100 एमटी तक	₹ 197.5 + ₹ 8.9 प्रति एमटी प्रति घंटा 50 एमटी से अधिक पर	₹ 390.0+ ₹ 18.0 प्रति एमटी प्रति घंटा 50 एमटी से अधिक पर
100 एमटी से अधिक 200 एमटी तक	₹ 642.5+ ₹ 11.2 प्रति एमटी प्रति घंटा 100 एमटी से अधिक पर	₹ 1290.0+ ₹ 22.5 प्रति एमटी प्रति घंटा 100 एमटी से अधिक पर
200 एमटी से अधिक	₹ 1762.5+ ₹ 12.4 प्रति एमटी प्रति घंटा 200 एमटी से अधिक पर	₹ 3540.0+ ₹ 24.8 प्रति एमटी प्रति घंटा 200 एमटी से अधिक पर

टिप्पणी

1)	पहले दो घंटों के लिए कोई पार्किंग प्रभार नहीं लगाया जाएगा। निःशुल्क पार्किंग अवधि की गणना करते समय, पार्किंग स्टैंड में प्रवेश करने के समय और वास्तविक पार्किंग समय के मध्य के समय के कारण 15 मिनट का मानक समय जोड़ा जाएगा। पार्किंग स्टैंड से टेक आफ प्वाइंट तक विमान के टैक्सिंग समय के कारण 15 मिनट के एक अन्य मानक समय को जोड़ा जाएगा। ये अवधियां प्रत्येक विमान के लिए लागू होंगी इसके लिए लैंडिंग के बाद और टेकऑफ़ से पहले विमान के मूवमेंट में लिए गए वास्तविक समय पर विचार नहीं किया जाएगा।
2)	प्रभार्य पार्किंग समय की गणना के लिए एक घंटे का कोई भी हिस्सा अगले घंटे में पूर्णांकित किया जाएगा।
3)	प्रभार की निकटतम एमटी के आधार पर गणना की जाएगी।
4)	प्रत्येक पार्किंग अवधि के लिए प्रभार निकटतम रूप में पूर्णांकित किया जाएगा।
5)	इन कॉन्टेक्ट स्टैंडों और ओपन स्टैंडों पर मुफ्त पार्किंग के बाद अगले दो घंटे के लिए सामान्य पार्किंग प्रभार लगाया जाएगा। इस अवधि के बाद ये प्रभार सामान्य पार्किंग प्रभार से दोगुना होंगे।
6)	श्रीनगर हवाई अड्डा पर सभी घरेलू अनुसूचित ऑपरेटरों के लिए रात्रि पार्किंग प्रभार को सिद्धांत रूप से छोड़ने का निर्णय लिया है, यदि राज्य सरकार ने एटीएफ पर कर (वैट) की दर 5% तक लगाई है। रात्रि पार्किंग प्रभार (2200 बजे से 0600 बजे के बीच) की उपरोक्त छूट राज्य सरकार द्वारा एटीएफ पर 5% कर के कार्यान्वयन की तारीख से लागू होगी। राज्य सरकार द्वारा एटीएफ की कर दर बढ़ाए जाने की ओर संशोधन की स्थिति में, निःशुल्क रात्रि पार्किंग प्रभार की राहत को उक्त राज्य के अधिकार क्षेत्र में सभी हवाई अड्डे के लिए वापिस लिए जाने की तरह भी माना जाएगा।

स्टांप

II) थूपुट प्रभार

दर प्रति किलोलीटर (₹ में)
₹ 143.1

III) यात्री सेवा फीस (पीएसएफ)- प्रतिभूति (सिक्युरिटी)*

- 1) 130/- ₹ प्रति सवार अंतरराष्ट्रीय/ घरेलू यात्री के लिए।
- 2) डालर टैरिफ के प्रति जारी किए गए टिकटों के संबंध में यूएस \$ 3.25 (यूएस \$ तीन और पच्चीस सेंट मात्र) प्रति यात्री ।
- 3) संग्रहण प्रभार: अगर बीजक की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर भुगतान किया जाता है, तो प्रति यात्री पीएसएफ का ₹ 2.50% संग्रहण प्रभार का एएआई द्वारा भुगतान किया जाएगा। अगर 15 दिन की क्रेडिट अवधि के भीतर एयरलाइन पीएफ का एएआई को भुगतान करने में विफल रहता है तो कोई भी संग्रहण प्रभार नहीं दिया जाएगा। जहां कहीं भी संग्रहण प्रभार देय है राशि का निपटारा 15 दिन के भीतर कर दिया जाएगा।
- 4) ट्रांजिट यात्रियों के लिए कोई पीएसएफ (प्रतिभूति (सिक्युरिटी)) नहीं लगाया जाएगा।
- 5) यूएस \$ को INR में परिवर्तन के लिए पहली पाक्षिक बिलिंग अवधि के लिए महीने के पहले दिन की दर को और दूसरी पाक्षिक बिलिंग अवधि के लिए महीने की 16 तारीख की दर को अपनाया जाएगा। यदि भुगतान बिल प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर किया जाता है, तो प्रति यात्री पीएसएफ का 2.5% का संग्रहण देय है।

*पीएसएफ- प्रतिभूति (सिक्युरिटी) को नागर विमानन मंत्रालय द्वारा निर्धारित किया जाता है और समय-समय पर नागर विमानन मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाने वाली दरें लागू होंगी।

IV) उपयोगकर्ता विकास शुल्क (यूडीएफ)

विवरण	₹ में
घरेलू प्रति सवार यात्री	₹ 394
अंतरराष्ट्रीय प्रति सवार यात्री	₹ 787

टिप्पणी

1)	संग्रहण प्रभार: अगर बीजक की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर अदायगी की जाती है तब एएआई द्वारा ₹ 5 की दर से प्रति प्रस्थान यात्री अदायगी की जाएगी। यदि एयरलाइन 15 दिन की क्रेडिट अवधि के भीतर यूडीएफ बीजक की अदायगी या अदायगी का कोई भाग एएआई को करने में विफल रहती है तब संग्रहण प्रभारों की अदायगी नहीं की जाएगी। इस संग्रहण प्रभारों का दावा करने का पात्र होने के लिए एयरलाइनों का एएआई के किसी खाते पर कोई अतिदेय (overdue) नहीं होना चाहिए। जहां कहीं भी संग्रहण प्रभार देय हैं राशि का निपटारा 15 दिनों के भीतर कर दिया जाएगा।
2)	संग्रहण प्रभार अनियत आपरेटरों/गैर अनुसूचित आपरेटरों पर नहीं लगाए जाएंगे।
3)	यूडीएफ को विदेशी मुद्रा में परिकलन (Calculating) के लिए भारतीय रिजर्व बैंक संदर्भ परिवर्तन दर जो पहली पाक्षिक में जारी किए गए टिकटों के लिए पिछले माह के अंतिम दिन थी और दूसरी पाक्षिक में जारी किए गए टिकटों के लिए माह की 15 तारीख को थी को अपनाया जाएगा।
4)	ट्रांजिट यात्रियों के लिए कोई यूडीएफ नहीं लगाया जाएगा।

स्टांप

V) हवाई अड्डों पर लेवी से और यूडीएफ और पीएसएफ (एससी) से संग्रहण में छूट:

नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार ने आदेश संख्या ए.वी.16011/002/2008-एएआई दिनांक 30.11.2011 द्वारा एएआई को निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए लेवी से और यूडीएफ और पीएसएफ और (सिक्युरिटी) के संग्रहण से छूट देने का निदेश दिया है।

क)	बच्चे (2 साल तक की आयु के),
ख)	राजनयिक पासपोर्ट धारकों,
ग)	ड्यूटी पर एयरलाइन कर्मिंदल इसमें बोर्ड पर स्काई मार्शल और एयर लाईन कर्मिंदल को केवल विशेष उडान के लिए (इसमें डेड हेड कू, या ग्राउंड कार्मिक शामिल नहीं होंगे),
घ)	भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा संचालित विमान पर पदीय कर्तव्य पर यात्रा करने वाले व्यक्ति,
ड.)	संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के लिए पदीय कर्तव्य पर यात्रा करने वाले व्यक्ति
च)	ट्रांजिट/ट्रांसफर यात्री (यह छूट सभी 24 घंटों तक पारगमन करने वाले यात्रियों को दी जा सकती है। "यात्री को केवल तभी पारगमन में माना जाता है, अगर हवाई अड्डे में आने से आगे की यात्रा 24 घंटे के भीतर की है और उसी टिकट का हिस्सा हो, यदि 2 अलग टिकट जारी किए जाते हैं तो इसे पारगमन यात्री के रूप में नहीं माना जाएगा")
छ)	यात्रियों का अनैच्छिक पुनः रूटींग (re-routing) अर्थात तकनीकी समस्याओं या मौसम की स्थिति के कारण भारतीय हवाई अड्डों से प्रस्थान करना।

VI) सामान्य शर्त:

- क) क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना के तहत आपरेट की जाने वाली उडान भारत सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत की तिथि से प्राधिकरण के तारीख 31.03.2017 के आदेश संख्या 20/2016-17 के अनुसार प्रभारों से पूर्णतः मुक्त होगी।
- ख) सभी उपरोक्त प्रभार जीएसटी को छोड़ कर हैं। जीएसटी लागू दरों पर उपरोक्त शुल्कों के लिए अतिरिक्त देय है।

स्टांप

(नोट: किसी भी विवाद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ को ही मूल माना जाए।)

